

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, प्रेक्षागृह ,अतिथि गृह, छात्रावास की
आवंटन नियमावली-2015

1. (क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड प्रेक्षागृह, अतिथि गृह, छात्रावास के कक्षों की आवंटन नियमावली 2015 है।
(ख) यह तत्काल प्रभावी होगी।
2. परिशिष्ट-1 के क्रमांक 01 से 09 तक अंकित परिसम्पत्तियाँ उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली की परिसम्पत्तियाँ समझी जायेंगी।
3. जिन परिसम्पत्तियों की सूची इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में दी गई हैं, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक, के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे। परिशिष्ट-1 में वर्णित परिसम्पत्तियों की समुचित देखभाल व प्रयोग के लिए संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अथवा निदेशक द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण कार्य इस निमित्त शासन द्वारा कार्यकारी आदेश द्वारा समय-समय पर नामित किये जाने वाले अभियंत्रण खण्ड द्वारा सम्पादित किया जायेगा, परंतु कार्य की आवश्यकता की प्रकृति के दृष्टिगत उक्त अनुरक्षण कार्य उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भी सम्पादित किया जा सकेगा।
4. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली परिसर में स्थित प्रेक्षागृह का आवंटन निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया जा सकेगा:-
(क) शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए।
(ख) किसी अन्य ऐसे उद्देश्य के लिए, जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली की राय में इस नियम के खण्ड 'क' में अभिलिखित उद्देश्यों की प्रकृति का हो।
5. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली परिसर में स्थित प्रेक्षागृह का आवंटन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा:-
(क) विवाह समारोह व धार्मिक क्रिया-कलापों के आयोजन के लिए।
(ख) जन्म दिवस समारोह अथवा इस प्रकृति के किसी अन्य समारोह के आयोजन के लिए।

- (ग) फ़ैशन पददर्शनी के आयोजन के लिए।
- (घ) राजनितिक उद्देश्यों के लिए।
- (ङ) किसी अनैतिक अथवा गैर विधिक उद्देश्यों के लिए।
- (च) किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जो उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली के निदेशक की राय में अकादमी की गरिमा के अनुरूप न हो।
6. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली परिसर में स्थित प्रेक्षागृह का आवंटन परिशिष्ट-2 में उल्लिखित दरों पर निम्नलिखित व्यक्तियों अथवा संस्था को किया जा सकेगा—
- (क) भारत सरकार तथा राज्यों के सरकारी संगठन।
- (ख) सांविधिक निगम, सांविधिक निकाय, राज्य के विश्वविद्यालयों तथा राज्य द्वारा संचालित अकादमी।
- (ग) अन्य ऐसे व्यक्ति/संस्था जो उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक की राय में नियम-4 के अंतर्गत आवंटन पाने के अधिकारी हो।
7. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली परिसर में स्थित अतिथि गृह का आवंटन परिशिष्ट-2 में उल्लिखित दरों पर निम्नलिखित व्यक्तियों को किया जा सकेगा—
- (क) मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण।
- (ख) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशगण एवं उनके समकक्ष न्यायाधीशगण।
- (ग) अन्य ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक की राय में नियम-4 के अंतर्गत आवंटन पाने के अधिकारी हो।

8. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली परिसर में स्थित मैरिड हास्टल, न्यू हास्टल, ओल्ड हास्टल का आवंटन परिशिष्ट-2 में उल्लिखित दरों पर निम्नलिखित व्यक्तियों को किया जा सकेगा—
- (क) मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण।
- (ख) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशगण एवं उनके समकक्ष न्यायाधीशगण।
- (ग) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण।
- (घ) अन्य ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक की राय में नियम-4 के अंतर्गत आवंटन पाने के अधिकारी हो।
9. परिशिष्ट-1 में वर्णित परिसम्पत्तियों का आवंटन उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली निदेशक अथवा इस निमित्त निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पूर्व आदेश से ही किया जा सकेगा।
10. परिशिष्ट-1 में वर्णित परिसम्पत्तियों के आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा आवेदन यथासम्भव एक सप्ताह पूर्व करना अपेक्षित होगा।
11. परिशिष्ट-1 में वर्णित परिसम्पत्तियों का आवंटन हेतु यथा संभव “प्रथम आगत –प्रथम प्रदत्त” सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा, तथापि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक अथवा इस निमित्त निदेशक द्वारा आवंटन करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकारी होगा कि वह उद्देश्यों की प्रकृति को विचार में लेते हुए आवंटन का क्रम निर्धारित कर सके।
12. आवंटन प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अपने आगमन एवं प्रस्थान का दिनांक, समय, किराया तथा अन्य व्ययों के सम्बन्ध में विवरण, अकादमी कार्यालय में रखे गये रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। जिसका किराया वसूल करने के लिए एक दिन की गणना आगमन के समय से 24 घंटे के आधार पर की जायेगी।
13. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के कक्षों के उपयोग हेतु परिशिष्ट-2 में अंकित किराये की दर को यथावश्यक समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। अध्यासी द्वारा कक्ष छोड़ने से पूर्व सभी व्ययों का भुगतान अकादमी में जमा किया जाना

होगा। यदि किसी वस्तु की टूट-फूट अध्यासी द्वारा की जाती है एवं कोई सामान गायब होता है, तो उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली को यह अधिकार होगा कि अध्यासी से उसकी कीमत तथा अन्य व्यय तुरन्त वसूल कर लें। किराया आदि का भुगतान किसी भी दशा में आस्थगित नहीं किया जायेगा। मनोरंजन कक्ष (Recreation Centre) की सुविधा अध्यासियों को निःशुल्क सुलभ होगी।

14. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के कक्षों में आवंटन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के साथ आने वाले स्टॉफ यथा वाहन चालक, अनुसेवक, गनर, आदि को परिशिष्ट-2 में उल्लिखित दर पर उतनी अवधि के लिए कक्षों का आवंटन किया जा सकेगा, जितनी अवधि के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को कक्ष आवंटन किया गया है।
15. आवंटन प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा संस्था द्वारा मेस में भोजन पर आने वाले व्यय का भुगतान स्वयं करना होगा। चूकिं अकादमी में स्थित मेस का संचालन संविदा पर प्राईवेट ठेकेदार द्वारा किया जाता है, अतः भोजन व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अकादमी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
16. परिशिष्ट-1 में वर्णित परिसम्पत्तियों के आवंटन से प्राप्त धनराशि नियमानुसार सरकारी राजकोष में निक्षेपित की जायेगी।
17. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक परिशिष्ट-1 में वर्णित परिसम्पत्तियों के प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में कार्यहित में आवश्यक कार्यकारी आदेश निर्गत करने हेतु अधिकृत होंगे तथा ऐसे सभी कार्यकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी होंगे।
18. परिशिष्ट-1 में वर्णित परिसम्पत्तियों के आवंटन हेतु परिशिष्ट-2 में वर्णित दरों में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश/संरक्षक उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक छूट प्रदान की जा सकेगी।
19. इस नियम में किसी बात के होते हुए भी परिशिष्ट-1 में वर्णित परिसम्पत्तियों के आवंटन का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश/संरक्षक उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा।
20. परिशिष्ट-1 में वर्णित अतिथि गृह, मैरिड हास्टल, न्यू हास्टल, ओल्ड हास्टल के आवंटन का अनुरोध उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक द्वारा मामले की परिस्थितियों को विचार में लेते हुए पर्याप्त आधार पर अस्वीकार किया जा सकेगा।

21. नियमावली के उपर्युक्त प्राविधानों में कोई विचलन नहीं किया जायेगा और अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही, जिसका संज्ञान लेना अपरिहार्य हो, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश/संरक्षक उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के पूर्वानुमोदन से किसी नियम में शिथलीकरण दिया जाना अनुमन्य होगा।

परिशिष्ट -1

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली में स्थित परिसम्पत्तियाँ।

क्र०सं०	कक्ष	कुल कक्ष
1	अतिथि गृह	05
2	ओल्ड हास्टल	18
3	न्यू हास्टल	12
4	मैरिड हास्टल	30
5	प्रेक्षा गृह	01
6	डोर मैट्री	20 (बैड)
7	प्रशासनिक भवन	01
8	मनोरंजन कक्ष	01
9	मेस	01

परिशिष्ट -2

(क) उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली में स्थित अतिथि गृह, मैरिड हास्टल, न्यू हास्टल, ओल्ड हास्टल के किराये का निर्धारण:-

क्र०सं०	अध्यासियों की श्रेणी	दैनिक किराया		कक्षों का विवरण
		उत्तराखण्ड राज्य के न्यायाधीशगण के लिए	अन्य राज्यों के न्यायाधीशगण के लिए	
1	(क) मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण। (ख) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशगण एवं उनके समकक्ष न्यायाधीशगण।	₹ 750	₹ 1500	अतिथि गृह प्रति स्यूट
2	(क) मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण।	₹ 450	₹ 900	मैरिड हास्टल एक कक्ष
	(ख) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशगण एवं उनके समकक्ष न्यायाधीशगण।	₹ 350	₹ 700	न्यू हास्टल एक कक्ष
	(ग) उत्तराखण्ड एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण।	₹ 250	₹ 500	ओल्ड हास्टल एक कक्ष
3	आवंटन प्राप्त व्यक्तियों के साथ आने वाले सेवक, चालक व गनर के लिए।	₹ 30	₹ 50	डोरमैट्री

(ख) उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली में स्थित प्रेक्षागृह आवंटित किये जाने पर प्रेक्षागृह एवं अतिथि गृह, मैरिड हास्टल, न्यू हास्टल, ओल्ड हास्टल के किराये का निर्धारण:-

क्र०सं०	आवंटन की श्रेणी	दैनिक किराया
1.	(क) भारत सरकार तथा राज्यों के सरकारी संगठन। (ख) सांविधिक निगम, सांविधिक निकाय, राज्य के विश्वविद्यालयों तथा राज्य द्वारा संचालित अकादमी।	₹ 5000-10000 एवं जनरेटर सेट के तेल की लागत एवं तकनीकी सेवा का वास्तविक भुगतान अतिरिक्त देय होगा। नोट:- उक्त किराये की धनराशि में नियम 18 के अधीन परिवर्तन किया जा सकेगा।
2	अन्य ऐसे व्यक्ति/संस्था जो उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के निदेशक की राय में नियम-4 के अंतर्गत आवंटन पाने के अधिकारी हो।	₹ 20,000 एवं जनरेटर सेट के तेल की लागत एवं तकनीकी सेवा का वास्तविक भुगतान अतिरिक्त देय होगा। नोट:- उक्त किराये की धनराशि में नियम 18 के अधीन परिवर्तन किया जा सकेगा।
3	अतिथि गृह	₹ 2500/- प्रति स्यूट
4	मैरिड हास्टल	₹ 1500/- प्रति कक्ष
5	न्यू हास्टल	₹ 1000/- प्रति कक्ष
6	ओल्ड हास्टल	₹ 750/- प्रति कक्ष

परिशिष्ट –3

आवेदन का प्ररूप

1. आवेदक का नाम.....
2. आवेदक के पिता का नाम.....
3. आयु.....
4. पता.....
.....
5. ईमेल आई.डी.....मोबाईल नं0.....
6. फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण (छायाप्रति संलग्न).....
7. फ़ैक्स न0.....अन्य आकस्मिक मोबाईल / दूरभाष न0.....
8. आगमन का दिनांक..... समय.....कहाँ से आये.....
9. प्रस्थान का दिनांक..... समय.....वापसी का स्थान.....
10. अधिष्ठान में अध्यासित कुल दिनों की संख्या.....
11. वाहन, इत्यादि का विवरण.....
12. डोरमैट्री की सुविधा चाहिए अथवा नहीं यदि हॉ तो कितने बैड.....

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वीकृतकर्ता
निदेशक / प्राधिकृत अधिकारी

The allotment of auditorium, guest houses and hostels of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, rules, 2015

1. (A) The short title of these rules shall be "The allotment of auditorium, guest houses and hostels of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, rules, 2015".

(B) It shall come into effect immediately.
2. The assets listed in items 1 to 9 of the appendix-1 shall be deemed to be the properties of UJALA.
3. The assets listed in the appendix-1 shall be under the administrative control of the director of the Uttarakhand Judicial and Legal Academy Bhowali. Joint Director (Admin.) or other officer nominated by the Director will be responsible for the maintenance of the assets mentioned in appendix-1 The maintenance work of the above assets shall be done by engineering division, nominated by the state government through the executive orders issued for this purpose from time to time, however, keeping in view the nature of work needed the same maintenance work may be undertaken by the person nominated by the Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali
4. The allotment of the auditorium of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali may be made available for the following purposes:-
 - (a) for educational, social and cultural purposes,

(b) for such other purposes, which, the director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, think is of the like nature of the purposes mentioned in clause (a).

5. The allotment of the auditorium of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali shall not be done for the following purposes:-

(a) for performance of marriage function or other religious activities.

(b) for birthday celebrations or other functions of like nature,

(c) for organization of fashion pageants,

(d) for political purposes,

(e) for immoral or illegal purposes,

(f) for such other purposes which the director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali considers as opposed to the dignity of the academy.

6. The allotment of the auditorium of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali may be open on the charges prescribed under appendix-2, to the following persons or institutions:-

(a) the government institutions of States and the Union of India.

(b) Statutory bodies, statutory units, Universities of the State and Academies run by the State.

- (c) Such other persons or institutions, which in the opinion of the director of UJALA, are eligible for allotment under Rule 4.
7. The guest houses of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali may be allotted as per the charges prescribed in Appendix-2, to the following persons:-
- (a) Sitting and retired Judges of Supreme Court and High Courts.
- (b) Sitting and retired District Judges and their equivalent position, of Uttarakhand and other States.
- (c) Such other persons, which in the opinion of the director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali are eligible for allotment under Rule 4.
8. The married hostel, new hostel, old hostel, of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali may be open for allotment as per the charges prescribed in Appendix-2, to the following persons:-
- (a) Sitting and retired Judges of Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Courts.
- (b) Sitting and retired District Judges and their equivalent position, of Uttarakhand and other States.
- (c) Sitting and retired judges of Uttarakhand and other states.
- (d) Such other persons, which in the opinion of the director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, are eligible for allotment under Rule 4.

9. The allotment of assets mentioned in Appendix-1 shall be done with the prior permission of the director Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali or any officer nominated by him.
10. As far as possible, the interested persons or institutions are expected to make the application for allotment of assets mentioned in Appendix-1, a week in advance.
11. The asset mentioned in Appendix-1 shall be allotted on the basis of "first come-first serve", and it shall be open to the director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali or such other nominated officer by him for the purposes of allotment, to determine the chronology of allotment, keeping in mind the nature and purpose for which the allotment is sought.
12. The details of time of arrival and departure of the persons or institutions seeking allotment, date, charges and other miscellaneous expenses regarding the same shall be maintained in a register, and the computation of charges for 24 hours shall commence from the time of arrival.
13. The charges for the use of rooms of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali may be revised on a timely basis depending upon the circumstances. The occupant of the rooms shall clear all dues before departure. If any object or article is found broken, destroyed or missing, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali is entitled to recover its value and other expenses from the occupant. The payment of rent charges etc. shall in no

case be deferred. The facility of recreation centre shall be available free of cost for occupants.

14. The drivers, attendant, gunners etc. accompanying persons getting allotment in the rooms of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, may be given accommodation on the charges prescribed in Appendix-2 for such period as is given to their associate persons.
15. The mess charges shall be borne by the allottee. Since, the mess is run on a contractual basis by a private agencies, the academy shall not be responsible for mess services.
16. The amount received on allotment of assets as mentioned in appendix-1 will be deposit in government treasury.
17. The director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali shall be authorized to issue executive orders regarding regulation etc. of assets mentioned in Appendix-1 and all such orders shall be in force from the date of it's issuance.
18. Hon'ble the Chief Justice of Uttarakhand High Court/ Patron-in-Chief of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali shall have discretion to waive full or in part, the charges in Appendix-2 of the allotment of assets mentioned in Appendix-1.
19. Notwithstanding anything contained in these Rules, the Hon'ble Chief Justice of the Uttarakhand High Court/ Patron-in-Chief of Uttarakhand Judicial and Legal

Academy, Bhowali, may reject the request of allotment of any assets mentioned in Appendix-1.

20. The right to refusal of allotment of guest houses, married hostel, new hostel and old hostel mentioned in Appendix-1, may be exercised by the director of Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali keeping in mind the factual circumstances.
21. There shall be no deviation from the abovementioned Rules, and only in inevitable circumstances, may, the rules be relaxed with the prior approval of the Hon'ble Chief Justice of Uttarakhand High Court or the Patron-in-Chief of the Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali.

Appendix-1

ASSETS OF UTTARAKHAND JUDICIAL AND LEGAL ACADEMY, BHOWALI

S.No	ROOM	TOTAL ROOM
1	Guest House	05
2	Old Hostel	18
3	New Hostel	12
4	Married Hostel	30
5	Auditorium	01
6	Dormitory	20 (Bed)
7	Administrative Office	01
8	Recreation Room	01
9	Mess	01

Appendix-2

(A) Fixed rent charges of Guest House, Married Hostel, New Hostel, and Old hostel of the Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali is as follows:

S.No.	CATEGORY OF OCCUPENT	DAILY RENT		DETAIL OF ROOMS
		For Uttarakhand States Judges	For Other States Judges	
1	(A) Hon'ble Supreme Court & Hon'ble High Court's Sitting & Retired Judges. (B) Uttarakhand & Other States Court's – Sitting & Retired District Judges & their equivalent Judges.	₹ 750	₹ 1500	Guest House per suite
2	(A) Hon'ble Supreme Court & Hon'ble High Court's Sitting & Retired Judges.	₹ 450	₹ 900	Married hostel one room
	(B) Uttarakhand & Other States Court's Sitting & Retired District Judges & their equivalent Judges.	₹ 350	₹ 700	New hostel one room
	(C) Uttarakhand & Other States Court's Sitting and Retired Judges.	₹ 250	₹ 500	Old hostel one room
3	For servant, Driver or Gunner of person's to got/ received allotment.	₹ 30	₹ 50	Dormitory

(B) After allotment of auditorium fixed charges of Guest House, Married Hostel, New Hostel, and Old hostel of the Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali is as follows:

S.No.	Allotment categories	Per day Rent
1	(A) Indian Government & Govt. Organisation of States. (B) Statutory Corporation, Statutory Bodies, State's Universities & Academies operated by the State.	₹ 5000 – 10000 and Cost of oil consumption of generator set & Technical services to be extra actual paid. Note:- The above Rent amount will change according to rule- 18
2	Other those person/ corporation, who will be authentic in the view of Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali according to Rule- 4.	₹ 20000 and Cost of oil consumption of generator set & Technical services to be extra actual paid. Note:- The above Rent amount will change according to rule- 18
3	Guest House	₹ 2500/- Per Suite
4	Married Hostel	₹ 1500/- Per Room
5	New Hostel	₹ 1000/- Per Room
6	Old Hostel	₹ 750/- Per Room

Appendix-3
Application Form

1. Name of Applicant.....
2. Father's Name of Applicant
3. Age
4. Address
5. E-mail ID.....Mob. No.
6. Photo ID (Photo Copy Attached)
7. Fax No. Other emergency No.
8. Date of Arrival.....Time..... from
9. Date of Departure Time Return Place.....
10. Total Number of Days Staying in Residence
11. Details of Vehicles etc.
12. If you want dormitory facility (Yes/ No) if Yes how many bed.....

Signature of Applicant

Allotment Authority

